रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268172 CG-DL-E-03122025-268172

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] No. 786]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/ अग्रहायण 6, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/ AGRAHAYANA 6, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवंबर, 2025

सा.का.नि. 872(अ).— सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2025 का मसौदा, जिसे केंद्रीय सरकार उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदे पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनमत को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अविध समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;

इन मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, तो उप सचिव (एआरटी/सरोगेसी), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, कमरा नंबर 225, द्वितीय तल, इंडियन रेड क्रॉस बिल्डिंग, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल support-artsurrogacy@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उपरोक्त मसौदा नियमों के बारे में किसी भी व्यक्ति से तय समय के अंदर मिलने वाले आपत्तियां या सुझाव पर केंद्रीय सरकार विचार करेगी।

7968 GI/2025 (1)

मसौदा नियम

- 1. (1) इन नियमों को सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
 - 2. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में नियम 10 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थातु:

10क. पंजीकरण शुल्क के भुगतान का तरीका और उसका उपयोग.-

सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण की शुल्क, संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के आधिकारिक पदनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के संबंध में किया जाएगा।

- 3. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में नियम 11 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:
- 11क. धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्लिनिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण का तरीका और पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क।-
- (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन सरोगेसी क्लीनिक द्वारा फॉर्म-3 में राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारी को पंजीकरण के ऐसे प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत पंजीकरण के नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ सरोगेसी क्लीनिकों के लिए एक लाख रुपए की अप्रतिदेय शुल्क देनी होगी।
- (3) जहां किसी सरोगेसी क्लिनिक के नवीकरण के लिए आवेदन उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पहले साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो प्रारंभिक पंजीकरण के मामले में लागू दो लाख रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा:

बशर्ते कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देनी होगी।

- (4) राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, क्लिनिक की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित भरे हुए आवेदन पत्र का पीडीएफ प्रिंटआउट संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और नवीकरण हेतु आवेदन पर केवल उस तिथि से विचार किया जाएगा, जिस तिथि को आवेदन की पीडीएफ प्रति के साथ निर्धारित शुल्क उपयुक्त प्राधिकारी को प्राप्त हो जाता है।
- (5) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए शुल्क संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के आधिकारिक पदनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के संबंध में किया जाएगा।
- (6) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, उपयुक्त प्राधिकारी साठ दिन की अवधि के भीतर.-
- (क) निरीक्षण के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदक ने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बताई गई सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, फॉर्म 4 में बताए गए क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र का नवीकरण करें; या

(ख) ऐसे आवेदन को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अस्वीकृत कर सकेगा, यदि वह आवेदन अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है:

बशर्ते कि पंजीकरण के नवीकरण के लिए कोई भी आवेदन, आवेदक को सुनवाई का मौका दिए बिना अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

- (7) यदि किसी सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसी क्लिनिक के आवेदक द्वारा नवीकरण आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा, यदि वह अधिनियम के प्रावधानों, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन करता है।
- (8) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण या ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में सूचना राज्य बोर्ड को दी जाएगी।
- (9) नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र को सरोगेसी क्लिनिक द्वारा अपने व्यवसाय के स्थान पर किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (10) पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण, पूर्व में प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए वैध होगा।

[फा. सं. यू. 11019/15/2022-एचआर] ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य नियम यानी सरोगेसी (विनियमन) नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 460 (अ), दिनांक 21 जून, 2022 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में *संख्या* सा.का.नि. 772 (अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2022, सा.का.नि. 179 (अ), तारीख 14 मार्च, 2023, सा.का.नि. 415 (अ), तारीख 8 जून, 2023, सा.का.नि. 494 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2023 और सा.का.नि. 119 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2024 के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (Department of Health Research) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2025

G.S.R. 872(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the draft of the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2025, which the Central Government hereby proposes to make, in exercise of the powers conferred by the said section, is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Deputy Secretary (ART/Surrogacy), Department of Health Research, Room No. 225, 2nd Floor, Indian Red Cross Building, Red Cross Road, New Delhi - 110001, or by email at support-artsurrogacy@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules, within the period specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

- 1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, after Rule 10, the following rule shall be inserted, namely:
- 10A. Mode of payment of registration fee and its utilisation.-

The fee for registration of Surrogacy clinic shall be deposited in a bank account opened in the name of the official designation of the appropriate authority concerned and shall be utilised by the appropriate authority in connection with the activities connected with implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.

- 3. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, after Rule 11, the following rule shall be inserted, namely:
- 11A. Manner of Renewal of Certificate of Registration and Fee for Renewal of Registration of Clinic under Sub-Section (3) of Section 12.-
- (1) An application for renewal of a certificate of registration shall be made by the Surrogacy Clinics in Form-3 to the Appropriate Authority through the National Registry Portal at least sixty days before the date of expiry of such certificate of registration.
- (2) Every application for renewal of registration under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable fee of One lakh rupees for Surrogacy Clinics.
- (3) Where an application for renewal of any Surrogacy clinic is not received within a period of sixty days before the date of expiry of its certificate of registration, application fee of two lakh rupees as applicable in case of initial registration shall be required to be paid:

Provided that establishments in the Government-run institutes need not pay any fee for the renewal of certificate of registration.

- (4) After submission of the online application for renewal of certificate of registration on the National Registry Portal, a PDF printout of the filled-in application form, duly signed by the authorized signatory on behalf of the clinic, shall be submitted to the appropriate authority of the respective State Government or Union territory Administration and the application for renewal shall be considered only from the date the prescribed fee, along with the PDF copy of the application, is received by the appropriate authority.
- (5) The fee for renewal of certificate of registration shall be deposited in a bank account opened in the name of the official designation of the appropriate authority concerned and shall be utilized by the appropriate authority in connection with the activities connected with implementation of the provisions of the Act and rules made there under.
- (6) On receipt of the application for renewal of certificate of registration, the appropriate authority shall within a period of sixty days,-
- (a) after inspection and after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements prescribed under the Act and rules made thereunder, renew the certificate of registration of the clinic as specified in Form 4, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder; or
- (b) reject such application for reasons to be recorded in writing, if that application does not conform to the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder:

Provided that no application for renewal of registration shall be rejected without giving an opportunity of being heard to the applicant.

- (7) If an application for renewal of registration of any surrogacy clinic is rejected by the appropriate authority, no fee shall be required to be paid on re-submission of the renewal application by the applicant for the same clinic, if it complies with the provisions of the Act, or the rules or regulations made thereunder, as the case may be.
- (8) The intimation with regard to renewal of certificate of registration or rejection of application for such renewal shall be made to the State Board.
- (9) The renewed certificate of registration shall be displayed by the Surrogacy clinic at a conspicuous place at its place of business.
- (10) The renewal of certificate of registration shall be valid for a further period of three years from the date of expiry of the certificate of registration earlier granted.

Note: The principal rules i.e. Surrogacy(Regulation) Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 460 (E), dated the 21st June, 2022 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 772 (E), dated the 10th October, 2022, G.S.R. 179 (E), dated the 14th March, 2023, G.S.R. 415 (E), dated the 8th June, 2023, G.S.R. 494 (E), dated the 11th July, 2023 and G.S.R. 119 (E), dated the 21st February, 2024.